शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें
राज्य परियोजना कार्यालय,
उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद्, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ –226 007

प्रेषक

राज्य परियोजना निदेशक,
सर्व शिक्षा अभियान उ0प्र0,
लखनऊ।

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
समस्त जनपद उ0प्र0।

पत्रांकः सामु0सह0–हा0हो0सर्वे/1902/2016–17 लखनऊ दिनांक 27 जुलाई, 2016

विषयः शैक्षिक सत्र 2016–17 में हाउस होल्ड सर्वे कराने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 द्वारा 6–14 वय वर्ग के समस्त बालक–बालिकाओं को निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्यतः उपलब्ध कराने का प्राविधान किया गया है। शैक्षिक सत्र वर्ष 2016–17 हेतु माह 30 मार्च से 30 अप्रैल, 2016 में स्कूल चलो अभियान, विद्यालय उत्सव, रैली, आदि कार्यक्रम संचालित किये गये हैं। दिनांक 01–15 जुलाई, 2016 की अवधि में नामांकन पखवाड़ा व प्रवेश उत्सव कार्यक्रम विद्यालयों में बच्चों का नामांकन बढ़ाने एवं उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने एवं अभिभावक को शिक्षा के महत्व के सम्बन्ध में जागरूक करने के उद्देश्य से संचालित किया जा रहा है।

प्रदेश के समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 6–14 वय वर्ग के आऊट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हांकन का कार्य हाऊस होल्ड सर्वे द्वारा **01 अगस्त से 20 अगस्त, 2016** की अवधि में सम्पन्न किया जायेगा।

हाऊस होल्ड सर्वे में स्थानीय प्रशासन, श्रम विभाग, समाज कल्याण विभाग, आई0सी0डी0एस0, नगर विकास विकास विभाग, माध्यमिक शिक्षा, विकलांग जन विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, सिविल डिफेन्स सोसाईटी का सहयोग अवश्य लिया जाये एवं रोटरी क्लब, लाइन्स क्लब तथा अन्य स्वयं सेवी संगठनों (एन0जी0ओ0) का स्वैच्छिक सहयोग भी प्राप्त किया जाये। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आहूत करायें तथा उक्त बैठक में नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी को अनिवार्य रुप से आमन्त्रित करें तथा जनपद स्तर पर हाऊस होल्ड सर्वे की कार्ययोजना इस प्रकार तैयार करें कि

दूरभाषः 2780995 फैक्सः 0522-2781123, 2780998 ई-मेलः spdup@rediffmail.com; upefaspo@gmail.com वेब-साइटः www.upefa.com

शत–प्रतिशत परिवारों का आच्छादन हो जाये तथा 6 से 14 वर्ष तक कोई भी बच्चा सर्वे से छूटने न पाये।

हाऊस होल्ड सर्वे हेतु दिशा–निर्देश

- प्रदेश के सभी जनपदों के नगर क्षेत्रों व ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों के माध्यम से हाऊस होल्ड सर्वे कराया जाये।
- हाऊस होल्ड सर्वे के कार्य में विद्यालय प्रबंध समितियों का सहयोग प्राप्त किया जाये।
- बस्तीवार/मजरेवार, शिक्षकों की ड्यूटी लगाकर प्रत्येक बस्ती/मजरे के सभी घरों एवं परिवारों का आच्छादन सुनिश्चित किया जाये।
- यह विशेष ध्यान रखा जाये कि हाऊस होल्ड सर्वे के कार्य से विद्यालयों में पठन–पाठन का कार्य किसी प्रकार से बाधित न हो।
- प्रत्येक बस्ती/मजरे, वार्ड/मोहल्ले में हाऊस होल्ड सर्वे किया जायेगा तथा 3–5 एवं 6–14 वय वर्ग के सभी बच्चों का विवरण एकत्रित किया जायेगा।
- हाउस होल्ड सर्वे के दौरान निर्वाचन नामावली का भी संज्ञान लिया जाये तथा वोटर लिस्ट के आधार पर स्लम एरिया तथा झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले परिवारों को भी डाटा सर्वेक्षण में शामिल किया जाये।
- विद्यालयों में स्थित आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यरत् कार्यकत्रियों का सहयोग हाऊस होल्ड सर्वे में प्राप्त किया जाये तथा 06 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले बच्चों को सम्बन्धित विद्यालय में नामांकित कराया जाये।
- माईग्रेशन/शार्ट टर्म शिफ्ट एवं ट्रान्सफर्ड परिवारों को भी शामिल किया जाये।
- समाजवादी पेंशन योजना के अन्तर्गत लाभान्वित परिवारों के 6–14 आयु के बालक–बालिकाओं को अनिवार्य रूप से विद्यालय में नामांकित कराते हुए उनकी विद्यालय में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित कराएं। इस योजना के अन्तर्गत जनपदों द्वारा संकलित की गई सूचना का मिलान हाऊस होल्ड में प्राप्त आंकड़ों से किया जाए।
- नगर विकास विभाग द्वारा चिन्हित स्लम एरिया में कराये गये सर्वेक्षण का विवरण प्राप्त किया जाये एवं दोनो डाटा का मिलान कर लिया जाये।
- श्रम विभाग से सम्पर्क कर बाल श्रमिकों के सर्वेक्षण का विवरण प्राप्त किया जाये तथा उक्त विवरण का मिलान/सत्यापन हाउस होल्ड सर्वे में किया जाये।
- हाउस होल्ड सर्वे के कार्य में जनपद के सामुदायिक सहभागिता, विशेष प्रशिक्षण, समेकित शिक्षा, बालिका शिक्षा, निर्माण एवं प्रशिक्षण समन्वयकों को अवश्य सम्मिलित किया जाये।
- जिला समन्वयक (सामुदायिक सहभागिता) का दायित्व होगा कि सभी गतिविधियां समय सारिणी के अनुसार सम्पादित कराना सुनिश्चित करायें तथा निर्धारित तिथि के अनुसार विभिन्न स्तर पर डाटा का संकलन सुनिश्चित करें।

- जिला समन्वयक समेकित शिक्षा का यह दायित्व होगा कि सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त हो रहे डाटा में विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों के विवरण की प्रविष्टियां प्रत्येक स्तर पर निरन्तर जांचेंगें तथा विसंगति की स्थिति में उसे ठीक करना सुनिश्चित करेंगें।
- नगरीय क्षेत्रों में 3–14 वय वर्ग के ऐसे अनेक बच्चे हैं जो किसी स्थायी निवास में नहीं रहते हैं, अपितु सार्वजनिक स्थलों यथा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मलिन बस्तियां, झुग्गी झोपड़ी, ढ़ाबा इत्यादि में रहते हैं, कारखानों, ईंट भट्टों आदि में कार्य करते है। ऐसे बच्चे जो स्थायी निवास न होने या परिवार की परिधि में न होने के कारण छूट जाते हैं, उन बच्चों का सर्वेक्षण विशेष रुप से कराया जाये।
- नगर क्षेत्रों में शिक्षकों की ड्यूटी वार्डवार/मुहल्लेवार लगायी जाय ताकि सभी वार्ड/मुहल्लों का आच्छादन हो सके।
- नगर क्षेत्र में परिषदीय विद्यालयों की पर्याप्त संख्या न होने के कारण शिक्षकों की पर्याप्त संख्या नहीं है तथा जनसंख्या का घनत्व भी अधिक होने के दृष्टिगत हाऊस होल्ड सर्वे हेतु अन्य विभागों से समन्वय आवश्यक है। अतः स्थानीय जिला प्रशासन, समाज कल्याण विभाग, आई0सी0डी0एस0, नगर विकास विकास विभाग, श्रम विभाग, माध्यमिक शिक्षा, विकलांगजन विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, सिविल डिफेन्स आदि एवं गैर सरकारी संस्थाओं का सहयोग प्राप्त किया जाये।
- खण्ड शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कक्षा–5 में पढ़ने वाले बच्चे अगले वर्ष कक्षा–06 में किस विद्यालय में प्रवेश लेंगे, और इसकी जानकारी सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को विद्यालयों की सूची सहित उपलब्ध करायेंगे।
- हाऊस होल्ड सर्वे के समय रेलवे स्टेशन की पटरियों एवं रोडवेज के बस स्टैण्डों में कूड़ा उठाने वाले बच्चों को चिन्हित किया जाय एवं सम्बन्धित विभागों द्वारा रेलवे प्रशासन एवं परिवहन निगम द्वारा ऐसे बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया जाय।
- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में स्थानीय प्राधिकारियों के कर्तव्य– धारा–9 (घ/ड.) द्वारा स्थानीय प्राधिकारियों की अधिकारिता के भीतर निवास करने वाले 14 वर्ष के बच्चों के अभिलेख रखना तथा प्रत्येक बालक के प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश, उपस्थिति, और उसे पूरा करने को सुनिश्चित करने को मानीटर करना सम्मिलित है। अतः हाऊस होल्ड सर्वे में स्थानीय प्राधिकारी यथा स्थिति नगरमहापालिका/नगरपालिका/नगर पंचायत का सहयोग अवश्य प्राप्त किया जाये।
- हाऊस होल्ड सर्वे में माइग्रेट करने वाले बच्चों के सम्बन्ध में सूचना हैबिटेशन वाईज अवश्य प्राप्त की जाये जिससे इन बच्चों के जनपद में प्रवास की अवधि का बच्चेवार विवरण तैयार किया जा सके।
- ग्राम सभा/वार्ड से कोई परिवार यदि माइग्रेट होता है या कोई परिवार/बच्चा दूसरे स्थान से माइग्रेट होकर गांव/वार्ड में आता है तो उसकी सूचना विद्यालय प्रबन्ध समिति/वार्ड शिक्षा समिति के सचिव द्वारा सर्वे रजिस्टर पर अद्यतन की जायेगी।
- माइग्रेट कर गये बच्चों का पूर्ण विवरण माइग्रेट करने वाले स्थान के जनपद/ प्रदेश के शिक्षा अधिकारियों को प्रेषित किया जायेगा ताकि उनकी निरन्तरता सुनिश्चित की जा सके।

- 3, 4 एवं 5 वर्ष के बच्चों का भी सर्वेक्षण कर पृथक से उनकी सूचना संकलित की जाये।
- ग्राम पंचायत से समन्वय कर बाल पंजी में अंकित बच्चों की सूची ग्राम प्रधान से प्राप्त कर ली जाये।
- विद्यालयवार संकलन के आधार पर न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र पर संकलन प्रपत्र तैयार किया जायेगा तथा इसी आधार पर विकासखण्ड एवं जनपद स्तर पर संकलन प्रपत्र तथा नगर क्षेत्र में वार्डवार संकलन प्रपत्र तैयार कर चिन्हित बच्चों की सूचना राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।
- सर्वे के दौरान अभिभावक द्वारा दी गयी मौखिक सूचना को रजिस्टर में लिखा जायेगा तथा उस पर उनका नाम एवं पता अंकित करने के साथ–साथ उनके हस्ताक्षर अथवा अंगूठे के निशान लिये जायेगें।
- जिस घर में विद्यालय न जाने वाले बच्चे चिन्हित हों उस घर पर रंगीन चाक से HHS- 2016 लिखकर आउट आफ स्कूल बच्चों की संख्या तथा "+" (प्लस का चिन्ह) अंकित किया जाये। उदाहरण यदि किसी घर के 2 बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे है तो HHS+2/2016 अंकित किया जाये।
- विद्यालय प्रबन्ध समिति को अवगत कराया जाय तथा चिन्हित आवास पर लगे "+" (प्लस का चिन्ह) के निशान को तब तक न हटाया जाय जब तक कि यह सुनिश्चित न हो जाये कि वहां निवास करने वाले बच्चे विद्यालय में नामांकित हो गये हैं।
- सर्वेक्षण के दौरान यह भी देखा जायेगा कि विद्यालय न जाने वाले बच्चों में विकलांग बच्चों की कितनी संख्या है, उसका भी विवरण एकत्र किया जायेगा।
- हाउस होल्ड सर्वे प्रपत्र **(संलग्नक–1)** में 3–14 वर्ष के बच्चों का पूर्ण विवरण अंकित किया जायेगा तथा प्रपत्र में बच्चों का नाम एवं पता भी भरा जायेगा।
- ग्राम शिक्षा रजिस्टर/वार्ड शिक्षा रजिस्टर के आधार पर विद्यालयवार संकलन प्रपत्र पर विद्यालय जाने वाले एवं विद्यालय न जाने वाले बच्चों का आयुवार, वर्गवार एवं कक्षावार विवरण का संकलन किया जायेगा **(संलग्नक–2)**।
- माईग्रेटरी/प्रवासी बच्चों का विवरण **(संलग्नक–3)** के अनुसार तैयार किया जायेगा।
- 3–5 एवं 6–14 वय वर्ग के बच्चों का सर्वे पूर्ण करने के पश्चात विद्यालय प्रबंध समिति, अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से यह प्रमाण पत्र देगी कि समिति से सम्बन्धित ग्राम/बस्ती में कोई परिवार/बच्चा सर्वे से छूटा नहीं है। **(प्रारूप संलग्नक–4)**
- प्रत्येक विद्यालय में बाल गणना रजिस्टर (संलग्नक–1 व 2 के प्रारूप के अनुसार) तैयार किया जायेगा तथा उन गांवों को जिनको उक्त विद्यालय सेवित करता है, के समस्त 6–14 वय वर्ग के सभी बच्चों का नामवार व बस्ती व मजरे वार विवरण रखा जायेगा। इसी प्रकार नगर क्षेत्रों में बच्चों के नामवार विवरण रखे जायेंगें। बाल गणना रजिस्टर के रख रखाव के लिये सम्बन्धित पदेन सदस्य सचिव/प्रधानाध्यापक/प्रभारी अध्यापक यथास्थिति जिम्मेदार होंगें।

- खण्ड शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में टीम गठित कर सर्वे की निरन्तर मानीटरिंग करायी जाये।
- हाउस होल्ड सर्वे की रिपोर्ट प्रतिदिन सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा सत्यापित की जायेगी। न्याय पंचायत के सभी विद्यालयों की संकलित सूचना न्याय पंचायत स्तर पर एन0पी0आर0सी0 समन्वयक द्वारा, विकासखण्ड के सभी विद्यालयों की संकलित सूचना ब्लाक स्तर पर खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं जनपद की सूचना बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापित की जायेगी।

<u>हाउस होल्ड सर्वे की सूचना का जनवाचन</u>

- सर्वे पूर्ण करने के पश्चात विद्यालय प्रबन्ध समिति एवं ग्राम/वार्ड शिक्षा समिति की बैठकों में आउट आफ स्कूल बच्चों के नाम पढ़कर सुनाये जायें तथा समुदाय को प्रेरित कर सुनिश्चित किया जाय कि उक्त आउट आफ स्कूल बच्चे विद्यालय में नामांकित हो जायें।
- हाउस होल्ड सर्वे में प्राप्त आऊट आफ स्कूल बच्चों का विवरण स्थानीय समुदाय के साथ साझा किया जाये तथा उक्त बच्चों को विद्यालय में लाने हेतु सहयोग प्राप्त किया जाये।

<u>सर्वे अवधि में विभिन्न स्तरों पर सत्यापन एवं अनुश्रवण हेतु बिन्दु</u>

सर्वे अवधि में विभिन्न स्तरों से सर्वे के सत्यापन एवं अनुश्रवण व्यवस्था निर्धारित की गयी जिसकी विस्तृत कार्ययोजना **(संलग्नक–5)** पर संलग्न है, जिसके मुख्य बिन्दु निम्नवत् है–

- विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्यों का यह दायित्व होगा कि सर्वे अवधि में प्रतिदिन बैठक कर सर्वे की प्रगति का अनुश्रवण किया जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि सर्वे किये गये परिवारों में बच्चों के नाम, विद्यालय जाने की स्थिति में विद्यालय का नाम तथा कक्षा एवं विद्यालय न जाने की स्थिति में कारण का अंकन किया गया हो।
- न्याय पंचायत स्तर पर न्याय पंचायत समन्वयक का यह दायित्व होगा कि उनके द्वारा सर्वे अवधि में प्रत्येक मजरे/बस्ती का कम से कम एक बार अनुश्रवण अवश्य किया जाये। अनुश्रवण में सर्वे हेतु निर्धारित प्रपत्रों एवं सर्वे रजिस्टर की विद्यालयवार एवं ग्राम सभा वार उपलब्धता, सर्वे रजिस्टर एवं प्रपत्रों का अवलोकन एवं समीक्षा अवश्य की जायें। न्याय पंचायत समन्वयक द्वारा सर्वे का रेन्डम स्थलीय सत्यापन भी किया जायेगा तथा प्राप्त डाटा का संकलन कराकर निर्धारित तिथि तक बी0आर0सी0 / नगर क्षेत्र स्तर पर बी0आर0सी0 समन्वयक / खण्ड शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा।
- विकासखण्ड स्तर/नगर क्षेत्र स्तर पर बी0आर0सी0 समन्वयक/सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी (नगर) का यह दायित्व होगा कि सर्वे अवधि में उनके द्वारा कम से कम 20–20 ग्राम सभाओं/वार्ड का एक बार अनुश्रवण अवश्य किया जाये। उक्त अधिकारियों का यह भी दायित्व होगा कि सर्वे का रेन्डम स्थलीय सत्यापन किया जाये तथा न्याय पंचायत समन्वयक द्वारा किये गये सत्यापन का अनुश्रवण भी किया जाये तथा विकास खण्ड स्तर पर प्राप्त सर्वेक्षण का कान्सालिडेशन तैयार कर निर्धारित तिथि तक जनपद स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी / जिला समन्वयकों को उपलब्ध कराया जायेगा।

- जनपद स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का यह दायित्व होगा कि सर्वे अवधि में कम से कम **05 ग्राम सभा तथा नगर क्षेत्र के 05 वार्डो का सत्यापन** व अनुश्रवण अवश्य किया जाये। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सर्वे से पूर्व सर्वे के निर्धारित प्रपत्रों की विकासखण्ड स्तर पर उपलब्धता और सर्वे से पूर्व जनपद स्तरीय एवं विकास खण्ड स्तरीय अधिकारियों का प्रशिक्षण आदि सुनिश्चित करायेंगें। साथ ही सर्वे का **रेण्डम स्थलीय सत्यापन** तथा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी खण्ड शिक्षा अधिकारी, नगर द्वारा किये गये सत्यापन का अनुश्रवण भी किया जाये।

- जनपद स्तर पर तैनात सभी जिला समन्वयक (विशेष प्रशिक्षण, सामुदायिक सहभागिता, समेकित शिक्षा, प्रशिक्षण, बालिका शिक्षा) का यह दायित्व होगा कि वे सर्वे अवधि में कम से कम **15 ग्राम सभाओ/वार्डो का सत्यापन व अनुश्रवण करें।** सर्वे का **रेण्डम स्थलीय सत्यापन तथा सर्वे प्रपत्रों/सर्वे रजिस्टर** का अवलोकन एवं समीक्षा की जाये।

- मण्डल स्तर से मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) का यह दायित्व होगा कि सर्वे अवधि में प्रत्येक जनपद की कम से कम 2 ग्राम सभाओं तथा 2 वार्डों का स्थलीय सत्यापन किया जाये तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किये गये सत्यापन का अनुश्रवण किया जाये तथा सर्वे प्रपत्रों/सर्वे रजिस्टर का अवलोकन एवं समीक्षा की जाये।

- जनपद स्तर पर हाऊस होल्ड सर्वे को निर्दिष्ट समयावधि के अन्दर सुचारु रुप से त्रुटि रहित पूर्ण कराने का प्राथमिक दायित्व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के निर्देशन में जनपद के सम्बन्धित विकास खण्ड के खण्ड शिक्षा अधिकारी तथा नगर क्षेत्र हेतु खण्ड शिक्षा अधिकारी नोडल अधिकारी होगें।

हाऊस होल्ड सर्वे हेतु समय–सारणी :–

क्र0 स0	कार्यवाही	तिथि
1	जनपद स्तरीय सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों एवं ब्लाक संसाधन केन्द्र के समन्वयकों हेतु जनपद स्तर पर एक दिवसीय कार्यशाला में रणनीति का निर्धारण	28 जुलाई 2016 तक
2	शिक्षकों द्वारा प्रपत्रों को भरे जाने हेतु एक दिवसीय बैठक	30 जुलाई, 2016 तक
3	सर्वे की अवधि	01 अगस्त से 20 अगस्त, 2016 तक
4	सर्वे का संकलन विद्यालय स्तर पर	22 अगस्त, 2016
5	सर्वे का संकलन न्याय पंचायत स्तर पर	24 अगस्त, 2016
6	सर्वे का संकलन ब्लाक स्तर पर	26 अगस्त, 2016
7	सर्वे का संकलन जनपद स्तर पर	30 अगस्त, 2016
8	सर्वे का संकलन राज्य स्तर पर	08 सितम्बर, 2016

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सर्वेक्षण के दौरान सभी नोडल अधिकारियों जिला समन्वयक, खण्ड शिक्षा अधिकारियों एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी (नगर) की बैठक में सर्वेक्षण

कार्य की साप्ताहिक रुप से समीक्षा करेंगें और सर्वेक्षण की प्रगति से प्रति सप्ताह राज्य परियोजना कार्यालय को अवगत करायेंगें।

संलग्नकः उक्तवत्।

भवदीय

(जी0एस0 प्रियदर्शी)
राज्य परियोजना निदेशक

पृष्ठांकन संख्याः सामु0सह0–हा0हो0सर्वे/ 1902 /2016–17 लखनऊ, तद्दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, बेसिक शिक्षा, शिक्षा अनुभाग–5, उ0प्र0 शासन।
2. मण्डलायुक्त, समस्त मण्डल, उ0प्र0।
3. श्रम आयुक्त, जी0टी0रोड, कानपुर नगर, उ0प्र0।
4. जिलाधिकारी, एवं अध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति समस्त जनपद, उ0प्र0।
5. शिक्षा निदेशक, (बेसिक), उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा निदेशालय, लखनऊ।
6. निदेशक, साक्षरता, उर्दू एवं प्राच्य भाषा, लखनऊ।
7. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
8. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0।
9. निदेशक, विकलांगजन विकास विभाग, उ0प्र0।
10. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, इलाहाबाद।
11. अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उ0प्र0 इलाहाबाद।
12. अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक), बेसिक शिक्षा निदेशालय उ0प्र0 इलाहाबाद।
13. संयुक्त शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), समस्त मण्डल, उ0प्र0।
14. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल उ0प्र0।
15. जिला विद्यालय निरीक्षक, समस्त जनपद, उ0प्र0।
16. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त जनपद, उ0प्र0।

(जी0एस0 प्रियदर्शी)
राज्य परियोजना निदेशक

वर्ष 2016-17

संलग्नक – 1

परिवार सर्वेक्षण हेतु प्रारूप

आयु वर्गः- 3-14 वर्ष

जनपद का नाम ब्लाक/जोन क्षेत्र का नाम सर्वेक्षित बस्ती/मजरे में कुल परिवारों की संख्या -

न्याय पंचायत का नाम ग्राम पंचायत/ वार्ड का नाम मजरे का नाम वार्ड संख्या

क्र.सं	पिता का नाम	शैक्षिक योग्यता	बी.पी.एल. अथवा ए0पी0एल	पता मकान नम्बर सहित	बच्चों के नाम	समाजिक वर्ग (सभा. /अनु0जा0 /अ0ज0जा0 /पि0जा0 /अल्पसंख्यक)	बच्चे का		परिवार घुमन्तू है (हाँ/ नहीं) यदि हाँ तो किस व्यवसाय/ कार्य से माइग्रेट करता है।	क्या परिवार सहित माइग्रेट करता है (हां/नहीं)	माइग्रेशन की अवधि (कब से कब तक)	माइग्रेशन का स्थान	यदि विकलांग ता हो तो विकलांग ता का प्रकार	निकटतम प्रा0 वि0 की दूरी	निकटतम उ0प्रा0वि0 की दूरी	क्या विद्यालय में नामांकन हुआ है अथवा नहीं	यदि विद्यालय में नामांकन हुआ है तो			यदि इस समय नामांकित नहीं है तो क्या वह कभी किसी विद्यालय में नामांकित हुआ था			
																				यदि हाँ		यदि नहीं	
							लिंग	आयु									विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	कौन सी कक्षा	पूर्ण की हुई अधिकतम कक्षा	स्कूल छोडने का कारण	नामांकन न कराने का कारण	वर्तमान समय में बच्चों का व्यवसाय
1																							
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							

विद्यालय न जाने के कारणों में निम्नलिखित का उल्लेख करें:–

कारण

1. अपने घर के कार्यों में लगा रहना
2. कचरा बीनना/स्टेशन/बस स्टेशन आदि पर
3. घरेलू नौकर
4. ईंट भट्टों व खदानों में काम करना
5. गैराज/फैक्टरी में काम करना
6. कृषि व्यवसाय
7. पुश्तैनी दस्तकारी
8. छोटे होटलो/ढाबों में काम करना
9. भाई बहनों की देख भाल करना
10. विद्यालय दूर होने का कारण
11. कक्षा–कक्ष में छात्र संख्या अधिक होना
12. शिक्षक का व्यवहार अनुचित होना
13. पढ़ाई में कठिनाई के कारण
14. शिक्षक/शिक्षा मित्र न होने के कारण
15. परिवार घूमन्तू होने के कारण
16. गरीबी के कारण
17. गम्भीर विकलांगता
18. अन्य

योग

सर्वेकर्ता का नाम

विद्यालय का नाम

पद

हस्ताक्षर

विद्यालय का प्रकार में निम्नलिखित का उल्लेख करें–

विद्यालय का प्रकार

1. शासकीय विद्यालय
2. सहायता प्राप्त विद्यालय
3. मान्यता प्राप्त विद्यालय
4. मान्यता प्राप्त मदरसा
5. गैर मान्यता प्राप्त मदरसा
6. गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय

योग

विकलांगता के प्रकार में निम्नलिखित उल्लेख करें

1. पूर्ण दृष्टिबाधित (Blind)
2. आंशिक दृष्टिबाधित (अल्पदृष्टि)
3. मूक बधिर
4. वाणी दोष
5. अस्थि बाधित
6. मानसिक विकलांग
7. अधिगम विकलांग
8. सेरेबल पाल्सी (प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात)
9. आटिज्म
10. बहु विकलांगता

कुल योग

परिवार सर्वेक्षण संकलन प्रपत्र (सार वर्ष- 2016-17) सलग्नक -2

जनपद स :

विकास खण्ड / जोन का नाम :

-सन्दर्भ तिथि - सर्वे तिथि

जाति 1	कुल बच्चों की संख्या 2																										
	बालक (वर्ष में)													बालिका (वर्ष में)													कुल योग
	3+	4+	5+	योग	6+	7+	8+	9+	10+	11+	12+	13+	योग	3+	4+	5+	योग	6+	7+	8+	9+	18+	11+	12+	13+	योग	
सामान्य																											
अनुसूचित जाति																											
अनुसूचित जनजाति																											
पिछड़ी जाति																											
अल्प संख्यक																											
योग																											

जाति	कुल बच्चों में से विकलांग बच्चों की संख्या 3																		
	बालक (वर्ष में)									बालिका (वर्ष में)									कुल योग
	6+	7+	8+	9+	10+	11+	12+	13+	योग	6+	7+	8+	9+	10+	11+	12+	13+	योग	
सामान्य																			
अनुसूचित जाति																			
अनुसूचित जनजाति																			
पिछड़ी जाति																			
अल्प संख्यक																			
योग																			

जाति	स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या 4																		
	बालक (वर्ष में)									बालिका (वर्ष में)									कुल योग
	8+	7+	8+	9+	10+	11+	12+	13+	योग	6+	7+	8+	9+	10+	11+	12+	13+	योग	
सामान्य																			
अनुसूचित जाति																			
अनुसूचित जनजाति																			
पिछड़ी जाति																			
अल्प संख्यक																			
योग																			

जाति	स्कूल जाने वाले बच्चों में विकलांग बच्चों की संख्या 5																		
	बालक (वर्ष में)									बालिका (वर्ष में)									कुल योग
	6+	7+	8+	9+	10+	11+	12+	13+	योग	6+	7+	8+	9+	10+	11+	12+	13+	योग	
सामान्य																			
अनुसूचित जाति																			
अनुसूचित जनजाति																			
पिछड़ी जाति																			
अल्प संख्यक																			
योग																			

स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या

जाति	बच्चों की संख्या जो कभी विद्यालय न गये हो 8																		
	बालक (वर्ष में)									बालिका (वर्ष में)									कुल योग
	6+	7+	8+	9+	10+	11+	12+	13+	योग	6+	7+	8+	9+	10+	11+	12+	13+	योग	
सामान्य																			
अनुसूचित जाति																			
अनुसूचित जनजाति																			
पिछड़ी जाति																			
अल्प संख्यक																			
योग																			

जाति	विद्यालय न जाने वाले ऐसे बच्चों की संख्या जिनका कभी नामांकन हुआ था किन्तु बाद में विद्यालय छोड़ा 7																		
	बालक (वर्ष में)									बालिका (वर्ष में)									कुल योग
	6+	7+	6+	9+	10+	11+	12+	13+	योग	6+	7+	8+	9+	10+	11+	12+	13+	योग	
सामान्य																			
अनुसूचित जाति																			
अनुसूचित जनजाति																			
पिछड़ी जाति																			
अल्प संख्यक																			
योग																			

जाति	कुल स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या 8 (योग 6+7)																		
	बालक (वर्ष में)									बालिका (वर्ष में)									कुल योग
	6+	7+	8+	9+	18+	11+	12+	13+	योग	6+	7+	8+	9+	10+	11+	12+	13+	योग	
सामान्य																			
अनुसूचित जाति																			
अनुसूचित जनजाति																			
पिछड़ी जाति																			
अल्प संख्यक																			
योग																			

विद्यालय न जाने वाले बच्चों का कारण

कारण	बालक (वर्ष में)									बालिका (वर्ष में)									कुल योग
	6+	7+	8+	9+	10+	11+	12+	13+	योग	6+	7+	8+	9+	10+	11+	12+	13+	योग	
1- अपने घर के कार्यो में लगा रहना																			
2- कचरा बीनना/स्टेशन/बस स्टेशन आदि पर																			
3- घरेलू नौकर																			
4- ईट भट्टों व खदानों में काम करना																			
5- गैराज/फैक्टरी में काम करना																			
6- कृषि व्यवसाय																			
7- पुश्तैनी दस्तकारी																			
8- छोटे होटलों/ढाबों में काम करना																			
9- भाई बहनों की देख भाल करना																			
10- विद्यालय दूर होने का कारण																			
11- कक्षा-कक्ष में छात्र संख्या अधिक होना																			
12- शिक्षक का व्यवहार अनुचित होना																			
13- पढ़ाई में कठिनाई के कारण																			
14- शिक्षक/शिक्षा मित्र न होने के कारण																			
15-परिवार घुमन्तू होने के कारण																			
16- गरीबी के कारण																			
17- गम्भीर विकलांग																			
18- अन्य																			
योग																			

विकलांगता के प्रकार

कारण	बालक (वर्ष में)									बालिका (वर्ष में)									कुल योग
	6+	7+	8+	9+	10+	11+	12+	13+	योग	6+	7+	8+	9+	10+	11+	12+	13+	योग	
1 पूर्ण दृष्टिबाधित (Blind)																			
2 आंशिक दृष्टिबाधित																			
3 मूक बधिर																			
4 वाणी दोष																			
5 अस्थि बाधित																			
6 मानसिक विकलांग																			
7 अधिगम विकलांग																			
8 सेरेबल पाल्सी (प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात)																			
9 आटिज्म																			
10 बहु विकलांगता																			
कुल योग																			

स्कूल जाने वाले बच्चों का विद्यालयवार विवरण

विद्यालय का प्रकार	बालक (वर्ष में)									बालिका (वर्ष में)									कुल योग
	6+	7+	8+	9+	10+	11+	12+	13+	योग	6+	7+	0+	9+	10+	11+	12+	13+	योग	
1 शासकीय विद्यालय																			
2 सहायता प्राप्त विद्यालय																			
3 मान्यता प्राप्त विद्यालय																			
4 मान्यता प्राप्त मदरसा																			
5 गैर मान्यता प्राप्त मदरसा																			
6 गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय																			
योग																			

संलग्नक-3

वर्ष 2016-17

माइग्रेन्ट/प्रवासी बच्चों का विवरण
भाग-ए (आने वाले प्रवासी बच्चों हेतु)
(प्रत्येक प्रवासी बच्चे/परिवार के लिये अलग प्रपत्र प्रयोग में लाया जाये)

ब्लाक /जोन का नाम ....

बस्ती/मजरे/वार्ड का नाम ....

1. प्रवास का प्रकार — (अभिभावक के साथ प्रवास- i, बिना अभिभावक के प्रवास- ii, बिना व्यस्क संरक्षण के प्रवास- iii,बिना बच्चों के अभिभावकों का प्रवास- iV)
2. यदि 1 का उत्तर (i) है तो
   - 2.1 पिता/अभिभावक का नाम..
   - 2.2 माता/अभिभावक का नाम..
   - 2.3 पिता/अभिभावक का व्यवसाय..
   - 2.4 माता/अभिभावक का व्यवसाय..
3. परिवार/बच्चे का मूल निवास — राज्य..............................जिला................................ब्लाक...
   ग्राम... बस्ती...
4. माइग्रेशन का कारण — ....
5. यदि उत्तर 1 का (ii) या (iii) है — बच्चे के आवास का प्रकार...
6. **बच्चे के सम्बन्ध में अन्य विवरण**

क्र.सं.	बच्चे का नाम	लिंग	आयु	माइग्रेशन का वर्ष/माह	यदि नामांकन हुआ है तो कक्षा	माइग्रेशन से पूर्व अन्तिम कक्षा	स्कूल न जाने का कारण	कक्षा शिक्षण का माध्यम	मातृभाषा	क्या बच्चे ने टी.0सी0 प्राप्त किया	इस स्थान पर व्यवसाय की प्रकृति	क्या परिवार पहले भी इस स्थान पर आया है	लौटने का महीना

***यदि बिना बच्चों के अभिभावकों का प्रवास है तो अलग-अलग प्रपत्र के स्थान पर एक ही प्रपत्र पर सूचना संकलित की जाये।**

हस्ताक्षर

वर्ष 2016—17

सलग्नक–4

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सर्वे अवधि .... से .... तक ग्राम सभा/वार्ड ....विकासखण्ड/नगर क्षेत्र.. जनपद .... के समस्त परिवारों के 3 से 5 एवं 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को सर्वे में सम्मिलित कर लिया गया है। सर्वे में ग्राम सभा/वार्ड.. का कोई परिवार/बच्चा सर्वे से छूटा नहीं है।

हस्ताक्षर..	हस्ताक्षर..	हस्ताक्षर..
नाम..	नाम..	नाम..
प्रधानाध्यापक..................................	अध्यक्ष विद्यालय प्रबन्ध समिति..............	ग्राम प्रधान/सभासद..............................
विद्यालय का नाम.........................	विद्यालय...	ग्राम सभा/वार्ड...

संलग्नक–5

सर्वे का अनुश्रवण

स्तर	अनुश्रवणकर्ता	अनुश्रवण की बारम्बारता	अनुश्रवण के मुख्य बिन्दु	प्रस्तावित कार्यवाही
ग्राम सभा/वार्ड स्तर	स्कूल प्रबन्ध समिति/ग्राम/ वार्ड शिक्षा समिति के सदस्य	सर्वे अवधि में प्रत्येक बस्ती/मजरे में प्रतिदिन	• सर्वेकर्ता द्वारा सर्वे किये गये परिवारों में बच्चों के नाम, स्कूल जाने की स्थिति में स्कूल का नाम तथा कक्षा एवं स्कूल न जाने की स्थिति में कारण का सत्यापन। • आउट ऑफ स्कूल बच्चों के अभिलेखीकरण का सत्यापन।	• सर्वे से छूट गये परिवारों अथवा किसी परिवार में सर्वे से वंचित रह गये बच्चे को पूर्ण विवरण के साथ सर्वे में सम्मिलित कराना। • सर्वे कर्ता को सर्वे में सहयोग प्रदान करना। • सर्वे को समय से पूर्ण कराकर न्याय पंचायत स्तर पर प्रेषित कराना।
न्याय पंचायत	न्याय पंचायत समन्वयक	सर्वे अवधि में प्रत्येक मजरे/बस्ती का कम से कम एक बार	• सर्वे हेतु निर्धारित प्रपत्रों एवं सर्वे रजिस्टर की विद्यालयवार एवं ग्राम सभावार उपलब्धता • सर्वे का रेन्डम स्थलीय सत्यापन • सर्वे रजिस्टर एवं प्रपत्रों का अवलोकन एवं समीक्षा	• घर–घर जा कर सर्वे न करने वाले अध्यापक की सूचना तथा निरीक्षण आख्या सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराना। • प्रत्येक ग्राम सभा एवं विद्यालय स्तर पर सर्वे प्रपत्रों एवं सर्वे रजिस्टर की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।
विकासखण्ड स्तर/नगर क्षेत्र	बी.आर.सी. समन्वयक/सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी	सर्वे अवधि में स्वयं कम से कम 20–20 ग्राम सभाओं/वार्ड का एक बार	• सर्वे हेतु निर्धारित प्रपत्रों एवं सर्वे रजिस्टर की विद्यालयवार एवं ग्राम सभावार उपलब्धता • सर्वे का रेन्डम स्थलीय सत्यापन • सर्वे रजिस्टर एवं प्रपत्रों का अवलोकन एवं समीक्षा • न्याय पंचायत समन्वयक द्वारा किये गये सत्यापन का अनुश्रवण	• प्रत्येक ग्राम सभा एवं विद्यालय स्तर पर सर्वे प्रपत्रों एवं सर्वे रजिस्टर की उपलब्धता सुनिश्चित कराना। • विकास खण्ड स्तर पर सर्वे कर्ता अध्यापकों का गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण आयोजित कराना। • घर–घर जा कर सर्वे न करने वाले अध्यापक के विरूद्ध कार्यवाही एवं त्रुटि रहित सर्वे कराने हेतु प्रधानाध्यापक को निर्देश। • निरीक्षण आख्या दो दिन के अन्दर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराना।
जनपद स्तर	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सर्वे अवधि में कम से कम 5 ग्राम सभा तथा नगर क्षेत्र के 5 वार्ड	• सर्वे से पूर्व सर्वे हेतु निर्धारित प्रपत्रों की विकासखण्ड स्तर पर उपलब्धता। • सर्वे से पूर्व जनपद स्तरीय एवं विकास खण्ड स्तरीय अधिकारियों का प्रशिक्षण • सर्वे का रेन्डम स्थलीय सत्यापन • सर्वे रजिस्टर एवं प्रपत्रों का अवलोकन एवं	• सर्वे हेतु निर्धारित प्रपत्रों की विकासखण्ड स्तर पर निर्धारित समय में उपलब्धता सुनिश्चित कराना। • विकास खण्ड स्तर पर सर्वे हेतु निर्धारित प्रशिक्षण का अनुश्रवण। • घर–घर जा कर सर्वे न करने वाले अध्यापक के विरूद्ध कार्यवाही एवं त्रुटि रहित सर्वे कराने हेतु प्रधानाध्यापक को निर्देश।

			समीक्षा • सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी द्वारा किये गये सत्यापन का अनुश्रवण	• निरीक्षण आख्या दो दिन के अन्दर राज्य परियोजना कार्यालय शिक्षा निदेशक बेसिक एवं मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक को उपलब्ध कराना। • ब्लाक स्तर पर न्याय पंचायत समन्वयकों के साथ बैठक कर ग्राम सभावार सर्वे की समीक्षा।
	जिला समन्वयक	सर्वे अवधि में कम से कम 15 ग्राम सभाओं/वार्ड का सत्यापन	• सर्वे का रेन्डम स्थलीय सत्यापन • सर्वे रजिस्टर एवं प्रपत्रों का अवलोकन एवं समीक्षा	• त्रुटि रहित सर्वे कराने हेतु प्रधानाध्यापक को निर्देश। • निरीक्षण आख्या दो दिन के अन्दर राज्य परियोजना कार्यालय, शिक्षा निदेशक बेसिकएवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराना।
मण्डल स्तर	सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक)	सर्वे अवधि में प्रत्येक जनपद की कम से कम 2 ग्राम सभाओं तथा दो वार्डों का स्थलीय सत्यापन	• सर्वे से पूर्व सर्वे हेतु निर्धारित प्रपत्रों की जनपद स्तर पर उपलब्धता। • सर्वे से पूर्व जनपद स्तरीय एवं विकास खण्ड स्तरीय अधिकारियों का प्रशिक्षण • सर्वे का रेन्डम स्थलीय सत्यापन • सर्वे रजिस्टर एवं प्रपत्रों का अवलोकन एवं समीक्षा • जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी द्वारा किये गये सत्यापन का अनुश्रवण	• सर्वे हेतु निर्धारित प्रपत्रों की जनपद पर निर्धारित समय में उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु समन्वय। • जनपद पर सर्वे हेतु निर्धारित प्रशिक्षण का अनुश्रवण। • निरीक्षण आख्या दो दिन के अन्दर राज्य परियोजना कार्यालय शिक्षा निदेशक (बेसिक) को उपलब्ध कराना। • जनपद स्तर पर न्याय पंचायत समन्वयकों /बी0आर0सी0 समन्वयकों/सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों के साथ एक दिन की बैठक पर सर्वे की समीक्षा तथा संकलन की निरन्तर मॉनीटरिंग।
राज्य स्तर	बेसिक शिक्षा से संबंधित समस्त निदेशालयों के उप निदेशक स्तर के अधिकारी	आवंटित जनपद में सर्वे अवधि में जनपद के कम से कम 5 ग्राम सभाओं/वार्डों का एक बार	• सर्वे से पूर्व सर्वे हेतु निर्धारित प्रपत्रों की जनपद स्तर पर उपलब्धता। • सर्वे से पूर्व जनपद स्तरीय एवं विकास खण्ड स्तरीय अधिकारियों का प्रशिक्षण • अभिलेखों की समीक्षा • सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी द्वारा किये गये सत्यापन का अनुश्रवण • सर्वे का रेन्डम स्थलीय सत्यापन	• सर्वे हेतु निर्धारित प्रपत्रों की जनपद पर निर्धारित समय में उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु समन्वय। • जनपद पर सर्वे हेतु निर्धारित प्रशिक्षण का अनुश्रवण। • जनपद स्तर पर सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, नगर शिक्षा अधिकारी एवं जिला समन्वयकों की बैठक कर सर्वे की समीक्षा। • सर्वे के संकलन की जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से निरन्तर अनुश्रवण। • निरीक्षण आख्या दो दिन के अन्दर राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराना।

<u>सर्वे हेतु अनुश्रवण प्रपत्र</u>

अनुश्रवण कर्ता अधिकारी का नाम–　　　　　　　　　　　　　　　　पद नाम–

निरीक्षण की तिथि–　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　जनपद का नाम–

क्षेत्र	कुल विकास खण्ड/वार्ड	कुल मजरें/बस्ती	सर्वे हेतु लगाये गये अध्यापकों की संख्या	क्या प्रत्येक मजरें/बस्ती हेतु पर्याप्त सर्वेकर्ता है।	सर्वेकर्ता ड्यूटी चार्ट जनपद पर बना है/नहीं	विद्यालय स्तर पर सर्वे प्रपत्र एवं रजिस्टर की उपलब्धता	जनपद स्तर पर प्रशिक्षण की स्थिति	विकास खण्ड स्तर पर अध्यापकों के प्रशिक्षण की स्थिति	सर्वे के अनुश्रवण हेतु जनपद स्तर पर कार्य आवंटित करने की स्थिति
ग्रामीण									
नगरीय									
योग									

हस्ताक्षर

बैठक एवं आख्याओं के संकलन की स्थिति

सर्वे हेतु निर्धारित तिथि	प्रत्येक बस्ती में सर्वे प्रारम्भ होने की तिथि	सर्वे की समीक्षा हेतु जनपद स्तर पर बैठकों की बारम्बारता	क्या निरीक्षण आख्याओं का संकलन एवं विश्लेषण प्रतिदिन किया जा रहा है।	सर्वे संकलन हेतु निर्धारित तिथि	सर्वे संकलन की स्थिति	मण्डलीय/राज्य स्तरीय अधिकारियों द्वारा जनपद भ्रमण के समय की गयी बैठकों का विवरण

जनपद में अनुश्रवण की स्थिति

क्या ग्राम/वार्ड शिक्षा समिति द्वारा अनुश्रवण किया जा रहा है	यदि नहीं तो की गयी कार्यवाही	एन.पी.आर.सी. समन्वयकों द्वारा किये गये स्थलीय सत्यापनों की संख्या	एन.पी.आर.सी. द्वारा सत्यापन न किये जाने पर कृत कार्यवाही	बी.आर.सी. समन्वयकों/ ए0बी0एस0ए0/ नगर शिक्षा अधिकारी द्वारा किये गये स्थलीय सत्यापनों की संख्या	सत्यापन न किये जाने पर कृत कार्यवाही	जिला समन्वयकों द्वारा किये गये स्थलीय सत्यापनों की संख्या	सत्यापन न किये जाने पर कृत कार्यवाही	बी0एस0ए0 द्वारा किये गये स्थलीय सत्यापन की संख्या	ए0डी0 बेसिक द्वारा किये गये स्थलीय सत्यापन की संख्या	अन्य द्वारा किये गये स्थलीय सत्यापन की संख्या	कुल स्थलीय सत्यापन की संख्या

हस्ताक्षर

राज्य/मण्डल/जनपद स्तरीय अधिकारियों का स्थलीय सत्यापन

निरीक्षित विकास खण्ड का नाम	निरीक्षित ग्राम सभा/वार्ड का नाम	सर्वे कर्ता का नाम	क्या सर्वे कर्ता के पास प्रपत्र एवं रजिस्टर उपलब्ध है	कुल परिवारों की संख्या	निरीक्षित परिवारों की संख्या	क्या सर्वे ठीक ढंग से किया जा रहा है	यदि नहीं तो मुख्य कमियों का विवरण	ग्राम सभा/ वार्ड में पूर्व में किये गये निरीक्षणों की संख्या	पूर्व में किये गये निरीक्षण में दिये गये निर्देशों के अनुपालन की स्थिति

सर्वे प्रपत्रों के संकलन एवं कम्प्यूटरीकरण की स्थिति

क्षेत्र	कुल विकास खण्ड/वार्ड की संख्या	संकलन हेतु जनपद पर निर्धारित तिथि	विकास खण्डों /वार्डो की संख्या जिनके प्रपत्र संकलित हो चुके है	जिन विकास खण्डों में प्रपत्र संकलित नहीं हुये उनका कारण	संख्यात्मक विवरण के कम्प्यूटरीकरण की स्थिति	6–14 आयु वर्ग के आउट आफ स्कूल बच्चों की संख्या	कितने बच्चों का नामवार विवरण कम्प्यूटराइज्ड हो गया है।
ग्रामीण							
नगरीय							

निरीक्षण अधिकारी द्वारा दिये गये मुख्य सुझाव

निरीक्षण अधिकारी का हस्ताक्षर